न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 111/2019 – निगरानी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति बनेड़ा जिला भीलवाड़ा –निगराकार

बनाम

1. भंवर लाल पुत्र शोभा लाल शर्मा निवासी–बागड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये संरपच ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बैरा पं.सं. बैरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा अधिनियम 97 राजस्थान पंचायती राज 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बैरा पंचायत समिति बनेड़ा तहसील बनेड़ा पट्टा संख्या 26 मिसल संख्या 19 दिनांक 28.04.2018 आदेश दिनांकित 26.06. 2018

उपस्थित –

1. श्री राजू डीडवानिया अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष ग्राम बागड़ी खेड़ा मे एक भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। उक्त पट्टा गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से पट्टा जारी कर किया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 ने दिनांक 28.04.2018 को पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने हेतु आवेदन किया गया, गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा मिसल संख्या 19 दिनांक 28.04.2018 कायम कर प्रार्थी को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जिसमे नियमों की अनदेखी कर पटवार हल्का से जांच रिपोर्ट लिये बगेर सार्वजनिक परियोजनार्थ आरक्षित आराजी नम्बर 1365 भूमि जो कि आबादी भूमि नही है, जिसमे जारी

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पंचायत बैरां की जांच रिपोर्ट दिनांक 20.07.2018 अनुसार विपक्षी संख्या 01 भंवरलाल शर्मा ने गलत जानकारी देकर, उक्त प्रश्नगत पटटा पिताजी की सहमति के बिना, भूलवश बनाया हैं, जिसे उक्त प्रश्नगत पटटा संख्या 26 पुनः ग्राम पंचायत में जमा करा दिया हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत पटटा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आराजी नं. 1365 में जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों की स्पष्ट उल्लघंना कर, नियम विरूद्व किया जाना प्रतीत होता हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा आबादी भूमि में से ही नियमानुसार जारी किया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत बैरां द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 142 से 149 की कार्यवाही नहीं की जाकर, पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर विधि विरूद्व तरीके से पट्टा संख्या 26 दिनांक 26.06.2018 विपक्षी संख्या 01 को, जो प्रश्नगत पटटा जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बैरां तहसील बनेडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 26.06.2018 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड विकास अधिकारी पंचायत समिति बनेडा को प्रेषित किया जावे। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बैरां तहसील बनेडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा